

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
दिसम्बर,2015 सत्र में दिये गये आश्वासन

ऊर्जा विभाग

दिनांक: 15-12-2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1092	तारांकित प्रश्न सं.9 (प्रश्न क्रं.1332) दि. 15-12-2015 (श्री जतन उईके)	म.प्र. शासन के आदेश दिनांक 28.10.2015 का विद्युत ट्रांसफार्मर बदलने के लिए 10 प्रतिशत राशि जमा कराने के आदेश का छिन्दवाड़ा की पांढुर्ना वि.स. क्षेत्र के ग्राम पाठई में पालन नहीं किये जाने की जांच कराई जाना।	निश्चित जांच करा लेंगे इसको हम गंभीरता से लेंगे।		
1093	तारांकित प्रश्न सं.22 (प्रश्न क्रं.1388) दि. 15-12-2015 (श्री घनश्याम पिरोनियों)	1. दतिया जिले की भाण्डेर वि.स. क्षेत्र के 22 ग्रामों में स्थापित फेल वितरण ट्रांसफार्मरों से संबद्ध उपभोक्ताओं के 10 प्रतिशत राशि शिविर आयोजित कर जमा कराकर ट्रांसफार्मर बदला जाना। 2. ग्राम सुनारी में लाईट लगाया जाना।	1. हम निर्देशित करेंगे कि वह शिविर लगाकर के 10 प्रतिशत राशि गांव में ही जाकर एकत्रित करके तत्काल इसका समाधान करें। 2. दिखवा लेंगे।		
1094	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.56 (प्रश्न क्रं.1302) दि. 15-12-2015 (श्री शैलेन्द्र जैन)	एस्सेल विद्युत वितरण कम्पनी प्रा.लि. सागर को कार्य प्रारंभकाल से प्रश्न दिनांक तक विद्युत उपभोक्ता से प्राप्त लंबित शिकायतों का निराकरण समय सीमा में किया जाना।	उक्त शिकायतों का निराकरण प्रक्रियाधीन हैं एवं शीघ्र ही उनका निराकरण किया जावेगा।		
1095	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.131 (प्रश्न क्रं.2148) दि. 15-12-2015 (श्री कमलेश्वर पटेल)	प्रदेश के सूखा प्रभावित जिले सीधी एवं सिंगरौली सहित अन्य जिलों में किसानों के बकाया विद्युत बिलों की वसूली स्थगित किये जाने के आदेश प्रसारित किया जाना।	बिजली बिल स्थगित करने के निर्णय अनुसार आदेश जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1096	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.134 (प्रश्न क्रं.2185) दि. 15-12-2015 (श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार)	विद्युत संभाग सबलगढ़ (मुरैना) में दिनांक 27, 28 एवं 29 मई 2013 को प्राक्कलन, लेबर अवाई जारी कर देयक स्वीकृत करने में की गई अनियमितता के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	शिकायत की जांच मुख्य महाप्रबंधक (ग्वा.क्षे.) ग्वालियर द्वारा महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी से करवायी जा रही है। जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।		
1097	अतारांकित प्रश्न सं.46 (प्रश्न क्रं.1140) दि. 15-12-2015 (श्री विष्णु खत्री)	भोपाल जिले की बैरसिया वि.स. क्षेत्र अन्तर्गत स्थाई कृषि पंप कनेक्शन के लिए अनुदान योजना के तहत लाईन विस्तार एवं ट्रांसफार्मर स्थापना के लंबित कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण किया जाना।	कार्यादेश दिनांक से अधिकतम 150 दिनों में पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे हैं।		
1098	अतारांकित प्रश्न सं.73 (प्रश्न क्रं.1520) दि. 15-12-2015 (श्री गोविन्द सिंह पटेल)	नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा वि.स. क्षेत्र अन्तर्गत विद्युत ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि एवं फीडर विभक्तिकरण योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त विद्युत ट्रांसफार्मर लगाया जाना।	1. अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने के कार्य विभागीय स्तर पर आगामी 3 माह में पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे हैं। 2. फीडर विभक्तिकरण योजना में प्रगति पर है।		
1099	अतारांकित प्रश्न सं.157 (प्रश्न क्रं.2245) दि. 15-12-2015 (श्री अमर सिंह यादव)	राजगढ़ जिले की वि.स. क्षेत्र राजगढ़ अन्तर्गत पोल टूटने एवं तार चोरी होने के कारण विद्युत आपूर्ति से वंचित ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाना एवं 11 के.व्ही. के विद्युत पोल जो कि आंधी तूफान आदि के कारण टूटे हैं व झुक गये हैं के स्थान पर नये विद्युत पोल लगाने की व्यवस्था की जाना।	जनवरी 2016 तक इन कार्यों को पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे हैं।		
1100	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.24) दि. 15-12-2015 (श्री दुर्गालाल विजय)	1. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अन्तर्गत आउट सोर्सिंग एस्कॉम एवं जुपिटर कम्पनी द्वारा पूर्व सेवा प्रदाता कंपनी में प्रदेश से डिग्री प्राप्त करने वालों को अनुबंध संशोधन कर कार्य पर रखा जाना। 2. सेवा प्रदाता कंपनी में पूर्व में कार्यरत कर्मचारियों के लंबित वेतन का भुगतान किये जानें एवं भुगतान न करने वाले दोषी ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	1. भविष्य में रखे जायें तो हम उसको दिखवा लेंगे। 2. भुगतान नहीं करेगा तो निश्चित रूप से हम कानूनी कार्रवाई करेंगे।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
दिसम्बर,2015 सत्र में दिये गये आश्वासन

खनिज साधन विभाग

दिनांक: 15-12-2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1101	अतारांकित प्रश्न सं.50 (प्रश्न क्रं.1181) दि. 15-12-2015 (श्री निशंक कुमार जैन)	भोपाल, रायसेन एवं इन्दौर जिले में बिना अनुमति के कोयले के अवैध भंडारण किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता सहित अन्य के द्वारा लिखे गये पत्रों में उल्लेखित बिन्दुओं की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जाना।	जांच हेतु निर्देश जारी किये गये है । वर्तमान में जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
दिसम्बर,2015 सत्र में दिये गये आश्वासन

जल संसाधन विभाग

दिनांक: 15-12-2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1102	तारांकित प्रश्न सं.25 (प्रश्न क्रं.2198) दि. 15-12-2015 (श्री के. के. श्रीवास्तव)	टीकमगढ़ जिले में ककरवाहा पिक अप बियर (धसान डायवर्सन) योजना का सर्वे कराकर स्वीकृत प्रदान की जाना।	सर्वे का काम देख लेंगे।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
दिसम्बर,2015 सत्र में दिये गये आश्वासन

नगरीय विकास एवं पर्यावरण
विभाग

दिनांक: 15-12-2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1103	तारांकित प्रश्न सं.13 (प्रश्न क्रं.1464) दि. 15-12-2015 (श्री आरिफ अकील)	1. नगर पालिक निगम भोपाल में नियम विरुद्ध संचालित पेड पार्किंग संचालित किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना। 2. नगर पालिक निगम अधिनियम अनुसार पेड पार्किंग स्थलों की निविदाएं आमंत्रित कर ठेकेदारों द्वारा पेड पार्किंग की वसूली किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाना।	1. मैं अपर आयुक्त स्तर से उसकी जांच कराऊंगा और कोई भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे। 2. वह ठेके हों, उसके माध्यम से वसूली हो, यह भी हम सुनिश्चित करेंगे। टेंडर करा लेंगे।		
1104	तारांकित प्रश्न सं.19 (प्रश्न क्रं.1221) दि. 15-12-2015 (श्रीमती ऊषा चौधरी)	प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में बनाई गई अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किये जाने के साथ उन कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाना।	1. अवैध कालोनियां हैं उनको वैध किया जायेगा, उनको वैध करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी। 2. सरकार इस प्रक्रिया को सरल बनायेगी। 3. इन अवैध कालोनियों को वैध करने की प्रक्रिया अत्यन्त सरल बनाई जायेगी। उन अवैध कालोनियों में वो सारे विकास के काम जो वहां के निवासियों के लिए आवश्यक हैं उनकी बाधाएं दूर कर दी जाएगी।		
1105	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.37 (प्रश्न क्रं.1034) दि. 15-12-2015 (श्री रामसिंह यादव)	शिवपुरी नगर की मडीखेडा जल- आवर्धन योजना को शीघ्र स्वीकृति दी जाकर कार्य प्रारंभ किया जाना।	1. जी हाँ। प्रकरण पर सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलित है। 2. जी हाँ। प्रकरण पर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1106	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.78 (प्रश्न क्र.1564) दि. 15-12-2015 (कुँवर सौरभ सिंह)	नगर पालिक निगम कटनी में कार्यरत सहायक राजस्व अधिकारी की नियम विरुद्ध की गई पदोन्नति के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 16.09.2015 को मुख्य सचिव म.प्र. शासन को लिखे गये पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं की जांच कराई जाना एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	1. प्रकरण में कलेक्टर, कटनी से जांच कराई जा रही है। जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी। 2. कलेक्टर कटनी से जांच करवाकर, जांच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।		
1107	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.90 (प्रश्न क्र.1693) दि. 15-12-2015 (श्रीमती इमरती देवी)	नगर पालिका परिषद डबरा जिला ग्वालियर की अध्यक्ष श्रीमती सत्यप्रकाशी परसेडिया को न.पा. अधिनियम 1961 की धारा 35 क के अन्तर्गत आगामी दो वर्ष के निर्वाचन के लिए आयोग्य घोषित किये जाने के बावजूद नियम विरुद्ध पद पर बने रहने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार परीक्षण कार्यवाही प्रचलित है।		
1108	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.111 (प्रश्न क्र.1936) दि. 15-12-2015 (श्री यादवेन्द्र सिंह)	कटनी नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अन्तर्गत चाका से बिलहरी माड तक रोड डिवाइडर, नाले एवं स्ट्रीट लाईट के कार्यों में हुई, अनियमितता की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	उल्लेखित कार्यों की जांच कराई जा रही है।		
1109	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.129 (प्रश्न क्र.2113) दि. 15-12-2015 (श्रीसंदीप श्रीप्रसाद जायसवाल)	नगर पालिक निगम कटनी द्वारा उद्योग पतियो एवं व्यापारियों को अनुमानों के आधार पर सीमाकर के फर्जी बिलों एवं फर्जी तामीली कराये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	कलेक्टर, कटनी को जांच के निर्देश दिये गये हैं। गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।		
1110	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.154 (प्रश्न क्र.2380) दि. 15-12-2015 (श्री आरिफ अकील)	वक्फ सम्पत्ति जाफर अली खां इतवारा के केयरटेकर द्वारा कूटरचित दस्तावेजों एवं असत्य शपथ पत्र के आधार पर शापिंग निर्माण की अनियमित अनुमति नगर पालिक निगम के अधिकारियों से मिली भगत करके प्राप्त किये जाने एवं वक्फ सम्पत्ति पर भूमि स्वामी का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी के विरुद्ध जांच कराई जाना एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	1. प्रकरण में आगे परीक्षण किया जा रहा है। 2. जी हों। प्रकरण में परीक्षण किया जाकर आगे की कार्यवाही पर निर्णय लिया जा सकेगा।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1111	अतारांकित प्रश्न सं.29 (प्रश्न क्रं.854) दि. 15-12-2015 (श्री आर.डी. प्रजापति)	छतरपुर जिले में नियम विरुद्ध निर्मित अवैध कॉलोनियों के कॉलोनाइजरो के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	66 अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है।		
1112	अतारांकित प्रश्न सं.107 (प्रश्न क्रं.1871) दि. 15-12-2015 (श्री सूबेदार सिंह रजौधा)	नगरपालिक निगम मुरैना के वार्ड क्र.- 46 में स्थित पार्क पर किये गये अतिक्रमण को हटाया जाना।	जिला प्रशासन के सहयोग से नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
दिसम्बर,2015 सत्र में दिये गये आश्वासन

पर्यटन विभाग

दिनांक: 15-12-2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1113	अतारंकित प्रश्न सं.70 (प्रश्न क्रं.1505) दि. 15-12-2015 (श्री दिव्यराज सिंह)	रीवा जिले के ऐतिहासिक गोविन्द गढ़ किले को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कर पर्यटन से जोड़ा जाना।	1. विकसित कर पर्यटन से जोड़ने की योजना प्रचलन में है। 2. ऐतिहासिक स्थल (गोविन्द गढ़ किला परिसर) को विकसित करने की योजना प्रचलन में है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
दिसम्बर,2015 सत्र में दिये गये आश्वासन

योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

दिनांक: 15-12-2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1114	तारांकित प्रश्न सं.8 (प्रश्न क्र.2089) दि. 15-12-2015 (श्री अंचल सोनकर)	जबलपुर जिले की पूर्व विधान सभा क्षेत्र सहित प्रदेश के अनेक विधानसभा क्षेत्रों में वर्ष 2014-15 की विधायक विकास निधि वित्त विभाग का सर्वर डाउन होने के कारण लैप्स हो जाने से, वह राशि तृतीय अनुपूरक अनुमान में समावेश कर मा. विधायकों के बैंक खातों में शीघ्र जमा कराई जाना।	अतिशीघ्र ही यह राशि पूरे विधायकों के खातों में पहुंच जाएगी और मंत्री जी के खाते में भी पहुंच जाएगी।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
दिसम्बर,2015 सत्र में दिये गये आश्वासन

राजस्व विभाग

दिनांक: 15-12-2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1115	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.64) दि. 15-12-2015 (श्री रामनिवास रावत)	1. अशोक नगर जिला एवं श्योपुर जिला की तहसील कराहल विजयपुर, वीरपुर, बड़ौदा एवं श्योपुर को कलेक्टर श्योपुर के प्रस्ताव अनुसार सूखा प्रभावित शीघ्र ही घोषित किया जाना। 2. आदिवासी बाहुल्य बड़वानी जिले के सूखा प्रभावित कृषकों से ऋण वसूली एवं विद्युत बिलों की वसूली स्थगित किया जाना।	1. प्रदेश से और भी माननीय सदस्यों के सुझाव आए हैं उस पर हम लोग गंभीरता से निर्णय करेंगे। 2. जल्दी ही हम समीक्षा करेंगे। अतिशीघ्र करेंगे। एक सप्ताह में फैसला करेंगे। बच्चन साहब ने कहा है उसका हम परीक्षण कराएंगे। 3. प्रदेश के जिलों में समस्याएँ हैं उनका निराकरण हम करेंगे। 4. काम शुरू हो गया है और भी जानकारी आपको उपलब्ध करा देंगे।		
1116	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.281) दि. 15-12-2015 (श्री सूबेदार सिंह रजौधा)	जिला मुरैना के ग्राम पिपरोनिया में कु. रचना पुत्री देवी सिंह धाकड़ की सर्पदंश से मृत्यु हो जाने पर राजस्व पुस्तक परिपत्र अनुसार समय-सीमा में आर्थिक सहायता स्वीकृत नहीं करने वाले अधिकारियों को हटाकर जांच कराई जाना एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	मैं आपके माध्यम से विधायक जी को आश्वस्त करता हूँ कि वे जिस तरह की बात रख रहे हैं, वहाँ संबंधित जो भी अधिकारी, तहसीलदार होंगे, उनको हटाकर जांच भी की जायेगी और कोई गड़बड़ी पाई गई, तो कठोर कार्यवाही की जायेगी।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
दिसम्बर,2015 सत्र में दिये गये आश्वासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

दिनांक: 15-12-2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1117	ध्यानाकर्षण (सूचना क्र.33) दि. 15-12-2015 (डॉ. गोविन्द सिंह)	1. भिण्ड एवं मुरैना जिले में संचालित आईल मिलों में विशेषकर सरसों के तेल में मिलावट किये जाने की जांच भोपाल की फ्लाइंग स्कवायड भेज कर कराई जाना। 2. आईल मिलों में उत्पादित सरसों के तेल की सेपलिंग किया जाना।	1. इसकी जांच हम यहां से फ्लाइंग स्कवायड भेजकर करवा लेंगे। 2. हम तत्काल सेपलिंग की कार्यवाही करा देंगे।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
दिसम्बर,2015 सत्र में दिये गये आश्वासन

वाणिज्यिक कर विभाग

दिनांक: 15-12-2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1118	तारांकित प्रश्न सं.20 (प्रश्न क्रं.2231) दि. 15-12-2015 (श्रीमती ममता मीना)	गुना जिले में ग्राम पेंची, पाकरियापुरा और गुना में गुरुद्वारा के पास (50 मीटर के अन्दर) विदेशी मदिरा की दुकानें संचालित किये जाने की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	1. मैं उसका परीक्षण करा लूंगा, अगर किसी ने भी वह दुकानें खोली हैं तो वह दुकानें वहां से शिफ्ट की जायेंगी । जिन अधिकारियों ने किया है उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जायेगी । 2. 50 मीटर के भीतर होगी और ट्रस्ट में रजिस्टर्ड होगी तो निश्चित तौर से वहां से वह दुकान हटा दी जायेगी ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
दिसम्बर,2015 सत्र में दिये गये आश्वासन

संस्कृति विभाग

दिनांक: 15-12-2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1119	अतारांकित प्रश्न सं.149 (प्रश्न क्रं.2200) दि. 15-12-2015 (श्री के. के. श्रीवास्तव)	बुन्देलखण्ड के क्रान्तिकारियों के सम्मान में टीकमगढ़ जिला मुख्यालय में शासन द्वारा तीन दिवसीय शहीद महोत्सव का आयोजन किया जाना।	निर्णय लिये जाने के संबंध में कार्यवाही प्रचलित है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
दिसम्बर,2015 सत्र में दिये गये आश्वासन

सामान्य प्रशासन विभाग

दिनांक: 15-12-2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1120	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.107 (प्रश्न क्रं.1884) दि. 15-12-2015 (श्रीमती शकुन्तला खटीक)	शिवपुरी जिले के जन-सुनवाई केन्द्र विकास खण्ड करेरा एवं नरवर में जनवरी 2015 से अक्टूबर 2015 के मध्य प्राप्त लंबित आवेदन पत्रों का शीघ्र निराकरण किया जाना।	शेष आवेदनों का निराकरण जांच उपरांत यथाशीघ्र किया जायेगा।		
1121	अतारांकित प्रश्न सं.67 (प्रश्न क्रं.1469) दि. 15-12-2015 (श्री आरिफ अकील)	म.प्र. वक्फ बोर्ड के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शफीक उद्दीन (सैयद) राप्रसे के कार्यकाल में वक्फ संपत्ति की नियम विरुद्ध लीज दिये जाने एवं हस्तांतरण किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	1. विभागीय जांच संस्थित कर आरोप पत्रादि जारी किए गए। 2. जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। शेष तीन प्रकरणों में वर्तमान में विभागीय जांच प्रचलित है। 3. विभागीय जांच के प्रस्ताव पर कार्यवाही प्रचलित है।		